कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग
वर्कचार्ज वर्ग।

संख्या-4008 डब्लू0सी0/2525डब्लू0सी0/73 दिनांक- लखनऊ जून, 23, 1979।

समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्यअधीक्षक,
सा0नि0वि0, वि0वि0ई0उ0प्र0।

विषय:- कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति।

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 9 डब्लू0सी0/10/252 डब्लू0सी0/73 दिनांक- 15-2-79 का अवलोकन करें जिसमें कर्मियों को चालक के पद पर आवश्यकतानुसार पदोन्नति हेतु आदेश जारी किये गये हैं।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह पदोन्नति केवल कार्य प्रभारित कर्मियों के लिये है न कि नियमित कार्यप्रभारित कर्मियों के लिये।

ह0/- (एस0डी0शर्मा)
कृते मुख्य अभियन्ता,
सा0नि0वि0।

प्रतिलिपि समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/- (एस0डी0शर्मा)
कृते मुख्य अभियन्ता,
सा0नि0वि0।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
अधिष्ठान वर्ग 1

संख्या 9 स्थापना/25266/73 लखनऊ दिनांक- 15 फरवरी 1979 ।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
कार्य प्रखण्ड, विभागीय निर्माण इकाई, सा०नि०विभाग।

विषय:- कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पदोन्नति के सम्बन्ध में ।

शासनादेश संख्या 808 स्थापना/23 सा०नि०अनु०-6 स्थापना/78, दिनांक-18-12-78 में निहित आदेशों के अनुसार निम्नांकित निर्देशों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिये जाते हैं:-

1- कार्यप्रभारित अधिष्ठान में चालक के पदों पर नियुक्ति की प्रचलित प्रथा के अनुसार क्लीनर को यदि वह चालक का काम जानता है और उस कार्य के लिये उपयुक्त है, ड्राइवर के पद पर आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जा सकता है।

2- चूंकि ड्राइवर के पद के उत्तरदायित्व क्लीनर के पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, अतः ड्राइवर के उच्च पद पर की गयी सेवा क्लीनर के पद पर नियुक्ति किये जाने के प्रयोजनार्थ आगणित की जाय ।

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि ड्राइवर के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त अनिवार्य है।

ह०/-
अति० मुख्य अभियन्ता। भवन।

प्रतिलिपि समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक अन्वेषणालय को सूचनार्थ ।

ह०/-
कृते मुख्य अभियन्ता ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग
लखनऊ ।

संख्या- 4008 ई0मु0वी0/2628ई0मु0वी0/73 दिनांक- लखनऊ जून, 23, 1979 ।

समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्यअधीक्षक,
सा0नि0वि0, वि0यां0खं0उ0प्र0 ।

विषय:- कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति ।

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 9 ई0मु0वी0प्री0/252 ई0मु0वी0/73 दिनांक- 15-2-79 का अवलोकन करें जिसमें कर्मियों को वाहन के पद पर आवश्यकतानुसार पदोन्नति हेतु आदेश जारी किये गये हैं।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह पदोन्नति केवल कार्य प्रभारित कर्मियों के लिये है न कि नियमित कार्यप्रभारित कर्मियों के लिये ।

ह0/- (एस0सी0वर्मा)
कृते मुख्य अभियन्ता,
सा0नि0वि0 ।

प्रतिलिपि समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ह0/- (एस0सी0वर्मा)
कृते मुख्य अभियन्ता,
सा0नि0वि0 ।

7 ... 25

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग,देहरादून।

पत्र संख्याः–268 / 7का0प्र0–उत्तरांचल / 2005,   दिनांक– 11 .3.2005

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल / कुमायूँ)क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग,पौड़ी / अल्मोड़ा।

विषयः– नियमित क्लीनर की चालक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

****

मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग,लखनऊके पत्र संख्या–6568डब्लू.सी. / 252डब्लू.सी. / 73,दि0–25.9.79,के अनुसार जो नियमित क्लीनर तीन वर्ष तक वाहन चालक का कार्य कर चुका है,वह चालक के पद पर पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं।

अधीक्षण अभियन्ता 49 वां वि. / यां.वृत्त लो0नि0विभाग,देहरादून से प्राप्त आख्या के अनुसार चालकों के कुल 385 पद स्वीकृत है, जिनके विरूद्ध 292 चालक कार्यरत हैं, इस प्रकार 93पद चालकों के रिक्त है। इन 93 पदों में 89पद कोटे से भरे जाने है,तथा चार पद सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जाने है। सामान्य श्रेणी के रिक्त पद पर नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 49वां वि0 / यां0वृत्त लो0नि0विभाग,देहरादून से मांगे गये है। शेष 89 पद आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जाने हैं।

नोडल खण्डों एवं अधीक्षण अभियन्ता 29वां वृत्त वि0 / यां0 लो0नि0 विभाग, हल्द्वानी से प्राप्त अभिलेखों / सूचना के आधार पर अनुसूचित जाति के नियमित क्लीनर निम्न हैः–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	खण्ड का नाम	नियुक्ति तिथि नियमित में
1	श्री गोपाल राम	श्री चन्दीराम	प्रा0ख0डीडीहाट	1.3.80
2	श्री राजकुमार	श्री केशर राम	—तदैव—	1.5.89
3	श्री भक्तू	श्री शोभनीय	नि0ख0बड़कोट	1.11.91
4	श्री कैलाश	श्री जगजीवन राम	नि0ख0देहरादून	17.6.84
5	श्री लक्ष्मण दास	श्री भरपूर दास	रा0मा0ख0उत्तरकाशी	1.3.95

	श्री ओमप्रकाश	श्री वीर सिंह	नि०ख०टिहरी	13.11.95
7	श्री सुखवीर सिंह	श्री हरनन्द सिंह	प्रा०ख०हरिद्वार	23.11.95
8	श्री गुमान सिंह	श्री दलीप सिंह	अ०ख०चकराता	23.11.95
9	श्री विजेन्द्र सिंह	श्री सूवा सिंह	प्रा०ख०देहरादून	23.11.95
10	श्री प्रेम सिंह	श्री मूलचन्द	प्रा०ख०लैन्सडौन	22.1.96
11	श्री प्रेमलाल	श्री कुन्दनलाल	अ०ख०थत्यूड़	1.4.97
12	श्री बालम सिंह	श्री वर्क सिंह	अ०ख०चकराता	26.6.97
13	श्री बाली राम	श्री जगतराम	प्रा०ख०नैनीताल	2.1.98
14	श्री रमेश चन्द	श्री सूरत प्रकाश	नि०ख०रानीखेत	20.3.98
15	श्री रमेश चन्द	श्री सूरत प्रकाश	प्रा०ख०लैन्सडौन	21.3.98
16	श्री भगवान दास	श्री गोकुल	प्रा०ख०बागेश्वर	14.10.98
17	श्री जगदीश राम	श्री दीवानी राम	प्रा०ख०रूद्रपुर	13.11.98
18	श्री जगदीश राम	श्री भवानी राम	नि०ख०नैनीताल	21.11.98
19	श्री कौशल राम	श्री मिठाईराम	अ०ख०ऋषिकेश	5.6.99
20	श्री श्रीचन्द	श्री रतिराम	प्रा०ख०हरिद्वार	6.8.99
21	श्री नन्दलाल	श्री विद्याराम	नि०ख०खटीमा	8.9.99
22	श्री जगदीश राम	श्री नैनराम	प्रा०ख०डीडीहाट	4.5.02

अतः आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु पत्र संख्या–6568डब्लू.सी./252डब्लू.सी., दि0–25.9.79,की छाया प्रति इस आशय के साथ संलग्न प्रेषित है कि उपरोक्त सूची के अनुसार अपने–अपने क्षेत्र में कार्यरत आरक्षित श्रेणी के नियमित क्लीनर जिनके द्वारा तीन वर्षों तक लगातार चालक का कार्य किया गया हो तथा जिनके पास वैध लाईसेंन्स हो एवं चालक का कार्य करने की पूर्ण अहर्ता रखते हो की पदोन्नति चालक के पद पर करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार प्रमुख अभियन्ता का पत्र।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,देहरादून।

(1) प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता [illegible], लो०नि०वि० हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) प्रति [illegible] मुख्य अभियन्ता स्तर-1, [illegible] लो०नि०वि० देहरादून

प्रशासनिक अधिकारी-II
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रा०ख० हरिद्वार को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग
(कर्मशाला वर्ग)।

5568ई/20प्रि0/252ई/20प्रि0/73 दिनांक लखनऊ सितम्बर, 25 1979

अधिशासी अभियन्ता,
प्रदेश अभियन्ता,
प्रां. खण्ड,
मुख्यालय,

File No.
Forward Reference
Serial No.
Back Reference

नियमित क्लीनरों की ड्राइवर के पद पर पदोन्नति।

ऐसे नियमित क्लीनर्स जो दिनांक 1-3-70 या उससे पूर्व से जीप ड्राइवर [illegible] या रोलर ड्राइवर का कार्य कर रहे थे और जिन्होंने 1-3-73 तक उक्त [illegible] का लगातार तीन वर्ष तक कार्य किया है, दिनांक 1-3-77 से नियमित जीप [illegible] ट्रक ड्राइवर, या रोलर ड्राइवर के पद पर पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं।

आप कृपया उपर्युक्त क्लीनरों के लिये आवश्यकतानुसार नियमित जीप ड्राइवर [illegible], तथा रोलर ड्राइवर के पदों की मांग इस कार्यालय से करें तथा उनके पद [illegible] होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अपने अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति [illegible] में ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति करें तथा इस कार्यालय को कृत कार्यवाही [illegible] करें।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

13979

Fax प्रति

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, पौड़ी

पत्रांक: 198 / 455का0(प्र0-पदो0/05, दिनांक 4-4-05

::कार्यालय-ज्ञाप::

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो0नि0वि0देहरादून के पत्र सं0256/7का0(प्र0-30/05, दिनांक 11-3-2005 के अनुपालन में गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित नियमित क्लीनर (अनुसूचित जाति) की पदोन्नति चालक के पद पर वेतनमान 3050-4590पर करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित खण्डों में तैनाती के आदेश एतद्द्वारा दिये जाते हैं ।

योगदान करते समय इन पदोन्नत चालकों से वैध ड्राईविंग लाईसेन्स की सत्यापित प्रति प्राप्त कर ली जाए जिनके पास वैध लाईसेन्स न हो उन्हें किसी भी दशा में पदोन्नति पद पर योगदान न करने दिया जाए । एवं इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए । सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता यदि यह महसूस करते हैं कि वर्तमान तैनाती खण्ड के अतिरिक्त उन्हें किसी अन्य खण्ड में चालक की आवश्यकता होती है तो वे अपने स्तर से समायोजन की कार्यवाही कर लें ।

पदोन्नति चालकों को प्रत्येक दशा में दि015-4-2005 तक योगदान करना अनिवार्य होगा ।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	वर्तमान खण्ड	पदोन्नति पर तैनाती का खण्ड
1	2	3	4	5
1-	सर्व श्री भानु	श्री शोभनीय	नि0खं0लैन्सडौन	नि0खं0लैन्सडौन
2-	कैलाश	,,जगजीवन राम	नि.ख.देहरादून	नि.ख.देहरादून
3-	लक्ष्मणदास	,,भरपूरदास	रा0मा0ख0उ0काशी	रा.मा.ख.उत्तरकाशी
4-	ओमप्रकाश	,,धीरसिंह	नि.ख.टिहरी	नि.ख.टिहरी
5-	सुखबीर सिंह	,, हरिनन्द सिंह	प्रा.ख.हरिद्वार	प्रा.ख.हरिद्वार
6-	गुमानसिंह	,,दलीपसिंह	अ.ख.चकरौता	अ.ख.चकरौता
7-	बिजेन्द्रसिंह	,,सोबासिंह	प्रा.ख.देहरादून	प्रा.ख.देहरादून
8-	प्रेमसिंह	,, मूलचन्द	प्रा.ख.लैन्सडौन	प्रा.ख.लैन्सडौन
9-	प्रेमलाल	,, कुन्दनलाल	अ.ख.थैलूसैंण	अ.ख.थैलूसैंण
10-	बलरामसिंह	,,बर्फ सिंह	अ.ख.चकरौता	अ.ख.चकरौता
11-	कौशलराम	,,मिठाईराम	अ.ख.ऋषिकेश	अ.ख.ऋषिकेश
12-	श्रीचन्द	,,रतिराम	प्रा.ख.हरिद्वार	प्रा.ख.हरिद्वार
13-	रमेशचन्द	,,दरबुप्रकाश	प्रा.ख.लैन्सडौन	प्रा.ख.लैन्सडौन

ह0/-
मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र)
लो0नि0वि0 पौड़ी

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता वाँ वृत्त, लो0नि0वि0 .... को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता खण्ड, लो0नि0वि0.

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र)
लो0नि0वि0 पौड़ी

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1,
संख्या: 13/12/93-का-1/1993,
लखनऊ, दिनांक: 14 : अक्टूबर, 1993

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

"उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवानियमावली, 1993"

भाग-1— सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति — 2. किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

इन नियमों का लागू होना — 3. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव — 4. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें — 5. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवानियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(घ) "सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ङ) "सेवा का सदस्य " का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में स्थापित सुसंगत सेवा-नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन ड्राइवर सेवा से है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

<u>भाग-दो--संवर्ग</u>

सेवा का संवर्ग — 6. प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी, स्थापित, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।

<u>भाग-तीन--भर्ती</u>

भर्ती का स्रोत — 7. सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायगी।

आरक्षण — 8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

<u>भाग-चार--अर्हतायें</u>

राष्ट्रिकता — 9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

{ख} तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

{ग} भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया {पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार} से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी {ख} या {ग} के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी {ख} के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उ0प्र0 से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी {ग} का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

<u>टिप्पणी:</u> ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया जा गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायं पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयुप्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

- 4 -

शैक्षिक और शैक्षिक अर्हताएं

11. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-

(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और

(दो) यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाईसेंस नियम-16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक से पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानी अर्हता

12. अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायगा जिसने:-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो;

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;

चरित्र

13. सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा,

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

14. सेवा में भर्ती के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

15. किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेंशियल हैण्ड बुक,खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच— भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार पत्रों में रिक्तियों को विज्ञाप्ति भी करायेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी— सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े

वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।---------------- सदस्य

{चार} संबंधित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो,-------- सदस्य

{2} सीधे व सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा।

{3} चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक{किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक}होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को, अग्रसारित करेगी।

भाग 6:-नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

{2} यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय ।

परिवीक्षा 19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम (3) के अधीन समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण 20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 21. ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।

वेतनमान 22. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान् में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

24. किसी ड्राइवर को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न बताया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

पक्ष समर्थन

25. सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-

समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

Chan

(कालिका प्रसाद)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1,
संख्या:13/12/93-का-1/1993,
लखनऊ, दिनांक: 14 :अक्टूबर,1993 ।

दिनांक 14 अक्टूबर,1993 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवानियमावली,1993" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/स. ड/विशेष सचिव,उ0प्र0 शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उ0प्र ।
3. सचिव, राज्यपाल महोदय,उ0प्र0 ।
4. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद,उ0प्र0 ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0 ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग,उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,उ0प्र0 लखनऊ ।
8. निदेशक,उ0प्र0 प्रशासनिक अकादमी नैनीताल ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

{डा0बी0डी0माहेश्वरी}
विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या 6/12/1973-नियुक्ति -§4§
लखनऊ दिनांक 7 अक्तूबर, 1974

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों की ....

भर्ती नियमावली, 1974
....

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ — 1- §1§ यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी

§2§ यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

परिभाषायें — 2- जबतक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

§क§ सरकारी सेवकों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो

§1§ ऐसे सेवायोजन में स्थायी था या

§2§ यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था: या

§3§ यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है, तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप में तीन वर्षों की निरन्तर सेवा की है ।

स्पष्टीकरण- नियमित रूप से नियुक्त का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिये अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है ।

§ख§ मृत सरकारी सेवकों का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुये हो जाये:

§ग§ कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे।

§1§ पत्नी या पति

§2§ पुत्र

§3§ अविवाहित पुत्रियाँ तथा विधवा पुत्रियाँ

§घ§ कार्यालय का प्रधान का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था ।

क्रमश: 2/-

hmy
10/1/91

नियमावली का लागू किया जाना

3- यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के सम्बन्धित लोक सेवाओं में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी ।

इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव

4- इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों, या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आ[देश] प्रभावी होगा ।

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती।

5- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाये, तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवा योजित न हो, इस प्र[योजन] प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, ~~[illegible]~~ सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो । ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथासम्भव उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवा योजित था ।

सेवायोजन के लिये आवेदन-पत्र की विषय वस्तु ।

6- इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र जिस पद पर नियुक्ति अभिलाषित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु वह उस कार्यालय को भेजा जायेगा । जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था । आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी:—

{क} मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था ।

{ख} मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्यौरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्यौरे ।

{ग} कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्यौरा और

{घ} आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें यदि कोई हो ।

[signature] 10/1/91

3/=

ऐसा जब कुटुम्ब के अधिक सदस्य आवेदन न चाहते हों।

7- यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजन करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब विशेषतया उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जायेगा।

आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता

8- [1] इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

[2] चयन के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से, तथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विशेष के लिये विज्ञापित/प्रख्यापित कार्य तथा क्षमता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की स्वाधीनता होगा।

[3] इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्त के प्रति की जायेगी।

सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान

9- किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि:-

[क] अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है:

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।

[ख] वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिसके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में सुसंगत नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

[ग] पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

क्रमशः 4/-

10/1/91

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

10- राज्य सरकार, इन नियमावली के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को { किसी विसंगति होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक होगी} दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उसका व्यवहार या लोक-हित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से,

(गुलाम हुसैन)
आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
व्यवस्थापन (ब) वर्ग

पत्रांक 539 व्यवस्था /101 व्यवस्था/74 दिनांक लखनऊ जनवरी 16, 1975

शासकीय आदेश संख्या 6-12/1974 नि- (4) दिनांक 7-10-74 आयुक्त एवं सचिव नि0 अनु0-4 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि कृपया शासन के आदेशों का पालन करें तथा अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित करें।

1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0विभाग, उत्तर प्रदेश
2- निदेशक अन्वेषणालय, सा0नि0 विभाग, लखनऊ
3- निदेशक विश्व बैंक जनसंख्या परियोजना, लखनऊ।
4- निदेशक सेतु निगम लि0, लखनऊ।

10/1/91

कृते/ मुख्य अभियन्ता
सा0नि0वि0.

प्रेषक,

श्री सुमन कुमार माडवाल
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या 37/1/1969 कार्मिक-2

कार्मिक अनुभाग -2 लखनऊ दिनांक- 19 मई 1975 ई0

विषय:- वर्ग-4 के कर्मचारियों के लिए वर्ग -3 में निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में आरक्षण ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 37/1/1969 कार्मिक -2 दिनांक- 21 अगस्त 1976 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि वर्ग -4 के कर्मचारियों के लिए वर्ग -3 में निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के लिए 45 वर्ष की आयु सीमा का जो प्रतिबन्ध उक्त शासनादेशों में लगाया गया है==== था वह आवश्यक नहीं है । फलस्वरूप शासनादेश के अन्तिम वाक्य में शब्द " तथा 45 वर्ष से अधिक आयु का न हो , निकाल दिये गये हैं , और शासनादेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है ।

भवदीय
सुमन कुमार माडवल ,
सचिव ।

संख्या 37/1/1969-1 कार्मिक-2 तद्दिनांक-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग [सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो] [अ0-2] बहादुर भवन लखनऊ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3- राज्य पाल उत्तर प्रदेश के सचिव ।
4- मंत्रियों के निजी सचिव ।
5- सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली ।
6- नियमावली ओक0 को उनके अशासकीय नोट नं0 227/नियमावली सेल/177 दिनांक- 3 ब जून 197 7 ई 0 के सन्दर्भ में ।
7- गोपन अनु0-1 को उनके पत्रांक- 4/2/1179-सी अख्ता0[1] दिनांक- 7 मई 1979 के सन्दर्भ में ।

आज्ञा से
रमा किशोर दीक्षित
अनुसचिव।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभियन्ता
सर्वेक्षण समन्वय, लो0 नि0 वि0,
लखनऊ।

प्रेषक, सं० 37/1/1969-कार्मिक-2

श्री पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक- 21 अगस्त 1976

विषय:- वर्ग-4 के कर्मचारियों के लिए वर्ग-3 में निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय व वर्गीय पदों में आरक्षण ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान कार्यालय ज्ञाप सं० 37/1/1969-नियुक्ति(ख) दिनांक- 1 जनवरी 1970 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि किसी कार्यालय में प्रत्येक वर्ष वर्ग-3 निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय वर्गीय पदों में होने वाली एवं एक वर्ष से अधिक अवधि तक खाली रहने वाली अस्थायी रिक्तियों में वर्ग-4 के हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा पास स्थाई कर्मचारियों के जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो, पदोन्नति द्वारा दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायगा । उपरोक्त आदेशों का आंशिक संशोधन करते हुए अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिस कर्मचारी ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर पांच वर्ष निरन्तर सेवा कर ली हो, चाहे वह स्थाई हो अथवा अस्थाई, लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति पाने के लिए अर्ह होगा यदि वह हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 45 वर्ष से अधिक आयु का न हो ।

पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या 37/1/1969(1) कार्मिक-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3- राज्यपाल उत्तर प्रदेश के सचिव ।
4- मंत्रियों / राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
5- सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।

आज्ञा से
श्री एन० पी० श्रीवास्तव
अनुसचिव ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अधिष्ठाता
पर्वतीय समन्वय, लो० नि० वि०
लखनऊ।

टाइप की
था वर्तमान
था जाय
सिंह ।
चिव ।
हेतु प्रेषित:-
सेना ।
।

(17)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश
[illegible] वर्ग I

संख्या 95 ए/पी/25226/73 लखनऊ दिनांक- 15 फरवरी 1979 ।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
कार्य अधीक्षक, विभागीय निर्माण इकाई, सा0नि0विभाग।

विषय:- कार्य प्रभारित कर्मचारियों के पदोन्नति के सम्बन्ध में ।

शासनादेश संख्या 808 कमु0प0/23 सा0नि0आ0-605कमु0प0/78, दिनांक- 16-12-78 में निहित आदेशों के अनुसार निम्नांकित निर्देशों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिये जाते हैं:-

1- कार्यप्रभारित अधिष्ठान में चालक के पदों पर नियुक्ति की प्रचलित प्रथा के अनुसार क्लीनर को यदि वह चालक का काम जानता है और उस कार्य के लिये उपयुक्त है, ड्राइवर के पद पर आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जा सकता है।

2- चूंकि ड्राइवर के पद के उत्तरदायित्व क्लीनर के पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, अतः ड्राइवर के उच्च पद पर की गयी सेवा क्लीनर के पद पर नियुक्त किये जाने के प्रयोजनार्थ आगणित की जाय ।

यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि ड्राइवर के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त अनिवार्य है।

ह0/-
अति0 मुख्य अभियन्ता। भवन।

प्रतिलिपि समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक अन्वेषणालय को सूचनार्थ ।

ह0/-
कृते मुख्य अभियन्ता ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग
अधिष्ठान वर्ग ।

संख्या- 4006 ई०सु०जी०/2625ई०सु०जी०/73   दिनांक- लखनऊ जून, 23, 1979 ।

समस्त अधिशासी अभियन्ता/कार्यपालक,
सा०नि०वि०, नि०वि०ख०उ०प्र० ।

विषय:- कार्यप्रभारित कर्मचारियों की पदोन्नति ।

-=-=-=-=-

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 9 ई०सु०जी०/0/252 ई०सु०जी०/73 दिनांक- 15-2-79 का अवलोकन करें जिसमें वर्कचार्ज को पात्र के पद पर आवश्यकतानुसार पदोन्नति हेतु आदेश जारी किये गये हैं।

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह पदोन्नति केवल कार्य प्रभारित कर्मियों के लिये है न कि नियमित कार्यप्रभारित कर्मियों के लिये ।

ह०/= (ए०जी०शर्मा)
कृते मुख्य अभियन्ता,
सा०नि०वि० ।

प्रतिलिपि समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ह०/= (ए०जी०शर्मा)
कृते मुख्य अभियन्ता,
सा०नि०वि० ।

वृत्त का नाम :- 12वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी गढ़वाल

क्र0 सं0	वृत्त/खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर/हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक/ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा–8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर	श्री कुलदीप सिंह	श्री दयाल सिंह	3-7-1965	सामान्य	1-6-2005	10 वर्ष	19-2-1994 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र हैं।
	– वही –	श्री गोविन्द सिंह	श्री ओम प्रकाश	4-6-1961	सामान्य	1-9-2001	13 वर्ष	13-3-1989 RDRLR	कक्षा–5 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र नहीं हैं।

वृत्त का नाम :- सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार

क्र0 सं0	वृत्त/खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर/हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक/ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा 8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हरिद्वार	श्री वजीर	श्री बसीर	1-1-1968	पि0जा0	12-11-1993	21 वर्ष	28-1-2013 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13– —उत्तम 4. वर्ष 2013–14– — 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र हैं।

5/7/15

अधीक्षण अभियन्ता
11वां वि0/यां0 वृत्त, लो0नि0वि0,
देहरादून।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
[illegible]

दिनांक जून 22,1982

सं0 9364 [illegible]/78

सेवा में:
अधीक्षण अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग

विषय: अवर लिपिक के पद पर चतुर्थ श्रेणी एवं नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों से पदोन्नति।

अवर लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट पास है।

चतुर्थ श्रेणी/ नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों को पदोन्नति के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास होना है।

ऐसे कर्मचारी पदोन्नति के लिये आयोजित परीक्षा में बैठने के लिए उनको 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य है तथा उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।

विभाग में बहुत से ऐसे चतुर्थ श्रेणी / नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारी है जिन्होंने इन्टरमीडिएट पास कर लिया है। पदोन्नति का 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कोटा वेतन आयोग द्वारा संस्तुति किया गया था जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया है। अतः चतुर्थ श्रेणी / नियमित कार्यप्रभारित जो कि पिछले पांच वर्षों से विभाग में उक्त पदों पर कार्यरत है तथा जिन्होंने इन्टरमीडिएट पास कर लिया है, उन्हें पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में छूट दी जाती है तथा ऐसे कर्मचारियों की अवर लिपिक के पद पर रिक्तियों के 5 प्रतिशत तक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने की स्वीकृति दी जाती है।

पदोन्नति द्वारा भरे जाने का कुल कोटा 15 प्रतिशत रहेगा तथा उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर कुल प्रतिशत कोटा पदोन्नति की परीक्षा से भरा जायगा।

कृपया इस सम्बन्ध में जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों ने विभाग में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा पास कर ली हो उनसे प्रार्थना पत्र मांग कर अपने वृत्त के अधीनस्थ कार्यों में पदोन्नति की कार्यवाही अपने स्तर से करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को 30 जून,1982 तक अवगत करायें।

ह0 [illegible]
मुख्य अभियन्ता(भ0)-2
सा0नि0वि0

प्रतिलिपि:

1- सचिव, सा0नि0अनु0-4 उ0प्र0शासन,लखनऊ को सूचनार्थ।
2- समस्त मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0, को सूचनार्थ।
3- समस्त अधि0 अभि0/ कार्यपालक सा0नि0वि0 को सूचनार्थ

कृते मुख्य अभियन्ता,
सा0नि0वि0.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
व्यवस्थापन (1) वर्ग

संख्या: 1592 व्यव/6(1) व्यव/82 दिनांक लखनऊ, फरवरी 4-1983

समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
समस्त कार्य अधीक्षक वि0नि0ख0
डायरेक्टर निर्माण।

विषय:- वर्क एजेण्ट /वर्क मिस्त्री से वर्क सुपरवाइजर बनाये जाने का

वर्क मिस्त्री/ वर्क एजेण्ट से वर्क सुपरवाइजर बनाये जाने के विषय में अनेकों सन्दर्भ इस कार्यालय को किये गये हैं। इस विषय में निम्नलिखित निर्देशित किया जाता है।

1- वर्क सुपरवाइजर के रिक्त पद पर नियुक्ति नियमित वर्क एजेण्ट /वर्क मिस्त्री से की जायेगी।

2- नियमित वर्क एजेण्ट/वर्क मिस्त्री को ही पात्र माना जायेगा। विद्युत वर्क सुपरवाईजर के रिक्त पद पर इलैक्ट्रीशियन पात्र माने जायेंगे।

3- इस हेतु जनपद में वर्क एजेण्ट /वर्क मिस्त्री की ज्येष्ठता सूची बनाई जायेगी।

4- इस हेतु एक कमेटी का गठन किया जाये।

(1) जिन जनपद में अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय नहीं हैं उनके जनपद के प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता व निर्माण खण्ड के अधिशासी अ0 सदस्य होंगे। कर्मचारी के चयन पश्चात अधीक्षण अभियंता को चयन सूची से अवगत कराया जायेगा। विद्युत वर्क सुपरवाइजर के लिये अधिशासी अभियन्ता वि0/या0 भी कमेटी के सदस्य होंगे।

(2) जिन जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय है वहाँ पर चयन समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा जनपद की वर्क मिस्त्री/ वर्क एजेण्ट सूची से किया जाय। ज्येष्ठता क्रम में ज्येष्ठ अधीक्षण अभियन्ता इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे।

5- साक्षात्कार के द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

6- चयन करते समय कर्मचारी का अनुभव वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि, चरित्र, शैक्षिक योग्यता तथा प्रशिक्षण का ज्ञान इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

7- वर्क सुपरवाईजर बनाने हेतु कोई अतिरिक्त पद का आवंटन इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

सत्यापित
ए0के0माथुर
वैयक्तिक सहायक(ग्रे03)
प्रमुख अभियन्ता

ह0 शंकरदेव त्रिपाठी
4/2/83
ह0/ (एस0डी0त्रिपाठी)
प्रमुख अभियन्ता(उ0)
सा0नि0वि0

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- शंकरदेव त्रिपाठी
4/2/83

(एस0डी0त्रिपाठी)
प्रमुख अभियन्ता(उ0)
सा0नि0वि0

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
लोक निर्माण विभाग
व्यय (आई) वर्ग।

संख्या 1235 व्यय/65 व्यय/91   लखनऊ दिनांक 26-2-91

कार्यालय-ज्ञाप
==============

कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्य करने वाले रोलर/ ट्रक/टिपर/जीप वाहन चालकों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में कुछ पदों का आवंटन पहले ही इस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है। मण्डलों व क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्य प्रभारित अधिष्ठान में निम्न तिथियों तक लिये गये कर्मचारियों को उनकी मण्डलीय ज्येष्ठता सूची के अनुसार नियमित कर दिया जाये और उसकी सूचना इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित कर दी जाय :

1- रोलर चालक 30.9.75
2- जीप चालक 28.2.79
3- ट्रक/ टिपर चालक 31.12.79

ह0/- आर0के0 शर्मा,
मुख्य अभियन्ता (पू0-2)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उ0प्रदेश।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0उ0प्र0।
3. समस्त कार्य अधीक्षक / अधिशासी अभियन्ता/ प्रान्तीय / रा0मा0/ वि0/ वा0/ वि0ई0 नि0ख0 खण्ड अन्वेषण/ क्वालिटी प्रमोशन सेल, लो0नि0वि0, उ0प्र0।

कृते/ प्रमुख अभियन्ता
लो0नि0विभाग।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग,
व्याह "ग" वर्ग ।

पत्र संख्या 3374 व्याग/ 20(13)/91 दिनांक 16/7 92

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
समस्त कार्य अधीक्षक, वि0नि0ई0,
डाइरेक्टर रिसर्च, लखनऊ ।

विषय:- चतुर्थ श्रेणी/ नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों के तृतीय श्रेणी में 15 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर लिपिकों के पद पर पदोन्नति ।

सन्दर्भ– सं० 5865 व्यज/3 …78 दि० 22-4-82

विभिन्न संगठन बराबर कार्यालय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी एवं नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों को कनिष्ट लिपिक के पद पर पदोन्नति नहीं किया जा रहा है । शासनादेश संख्या 87/1-67 का-2 दि० 31/3/82 के अनुसार नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों को 15 प्रतिशत आरक्षण कनिष्ट - लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु दिया गया है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों की ज्येष्ठता जनपद आधार पर सभी जनपदों में बन गई है । जिन जनपदों में ज्येष्ठता सूची अभी नहीं तैयार हो पाई है वह जनपद इस माह के अन्त तक ज्येष्ठता सूची को अवश्य अन्तिम रूप दे दें ।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता प्रत्येक वर्ष में अपने अधीनस्थ जनपदों में कुल रिक्त पदों का 15 प्रतिशत जनपदों को आवन्टित कर देंगे । लिपिक पद पर पदोन्नति होने पर इन कर्मचारियों पर वह सभी नियम प्रभावी होंगे जो अन्य लिपिक अधिष्ठान के कर्मचारियों पर लागू होते हैं । प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय कुल रिक्त पद में से 5 प्रतिशत पद मितव्ययता की दृष्टि से नहीं भरेंगे ।

इन आदेशों का कड़ाई से एवं तुरन्त पालन सुनिश्चित किया जाय ।

(हस्ताक्षर) 15.7.92
मुख्य अभियन्ता (मुख्या-2)
लोक निर्माण विभाग ।

1- प्रतिलिपि वैयक्तिक सहायक (मिनिस्टीरियल) प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
2- प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर जानकारी हेतु प्रत्येक कार्यालय में भी लगाई जाय ।

(हस्ताक्षर) 15.7.92
मुख्य अभियन्ता (मुख्या-2)
लोक निर्माण विभाग,

डी0पी0/ 13/7/

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

संख्या- 546 एम/18एम वर्कचार्ज/83   दिनांक- लखनऊ, जनवरी, 15, 1983

समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
" अधिशासी अभियन्ता,
" कार्यशाला, लो०नि०वि०,
डाइरेक्टर डिजाइन।

विषय:- नियमित वाहन चालक।

इस कार्यालय का ध्यान संघ की ओर से आकर्षित किया गया है कि खण्डों में नियमित चालक होते हुए भी मस्टर रोल के चालकों से काम लिया जाता है और नियमित चालक को बैठा दिया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही जहाँ तक कोई विशिष्ट कारण न हो उचित नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर ध्यान रखा जाय।

ह०/- (एस०डी०त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता
(उ०), लो०नि०वि०।

प्रतिलिपि समस्त मुख्य अभियन्ताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- (एस०डी०त्रिपाठी)
मुख्य अभियन्ता (उ०),
लो०नि०वि०।

(3) अर्द्धशा0 पत्र सं0 1589/का-4-31ई0-10/86

उत्तर प्रदेश शासन,
कार्मिक अनुभाग-4
लखनऊ दिनांक 18 जुलाई 1987

प्रिय महोदय,

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों की सेवा नियमावलियाँ बनाने हेतु कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 सी-210/86एस0टी0आर0-5-77 कार्मिक-1 दिनांक 9 अप्रैल 1980 के साथ मानक सेवा नियमावली की एक आकृति प्रसारित किया गया है जिसमें कि विभिन्न विभागों द्वारा बनाई जाने वाली सेवा नियमावलियों में दी जाने वाली व्यवस्थाओं को विवरण शीर्ष के रूप में इंगित किया गया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा राजकीय परिवहन चालकों के लिये बनाई गई सेवा नियमावलियों के अध्ययन से यह पाया गया है कि परिवहन चालकों के पद पर भर्ती के सम्बन्ध में विभागों द्वारा भिन्न-2 शैक्षिक अर्हतायें एवं प्राविधिक अनुभव निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार कतिपय सेवा नियमावलियों में परिवहन चालकों को श्रेणी "घ" के अन्तर्गत रखा गया है जब कि कार्मिक अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0 1023/का-4-19ई0एम/1983 दिनांक 14 जून 1984 के द्वारा परिवहन चालकों को समूह "ग" के अन्तर्गत रखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- परिवहन चालक के पद समान्य कोटि के पद की श्रेणी में आते हैं जो प्रायः सभी विभागों में विद्यमान हैं और उनकी कार्य प्रकृति भी एक समान है। अतः इन पद पर भर्ती हेतु उनके लिये समान शैक्षिक अर्हतायें तथा अनुभव निर्धारित होने चाहिये। अतः इस संबंध में समस्त प्रासंगिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समस्त शासकीय विभागों में परिवहन चालक के पदों पर भर्ती के लिये निम्नलिखित शैक्षिक अर्हतायें रखी जायें।

शैक्षिक योग्यता- कक्षा-8 पास

प्राविधिक अनुभव- 3 वर्ष के ड्राइविंग लाइसेंस की योग्यता

अधिमानी अर्हता-

1- हाईस्कूल पास
2- मोटर गाड़ियों का ज्ञान।

3- अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि आप कृपया अपने अधीनस्थ विभागों में राजकीय परिवहन चालकों के लिये अर्हतायें उपरोक्तानुसार निर्धारित किये जाने तथा उनकी परिस्थितियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा नियमावली में यथोचित संशोधन करने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
ह0/-एस0पी0गुप्ता

सेवा में,

समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

- - -2

संख्या: 583/XXVII(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून: दिनांक: 01 जुलाई, 2013

विषय:– प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग का पुनर्गठन।

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या:–108/XXVII(7)/2006 दिनांक 3 जुलाई 2006, एवं पत्र संख्या:–408/XXVII(7)27(3)/2013, दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा संसूचित पूर्व निर्णयों के आंशिक संशोधन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विचारोपरान्त प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग को तत्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित रूप में पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	संस्तुत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	30	(एक) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के अर्हताएं:– (i) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (ii) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स संबंधित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखता हो। (दो) 25 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनर्स और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और, यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का 03 वर्ष से अनन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण

उपसचिव सचिवालय (कार्मिक)

					कर ली हो: परन्तु यदि उक्तानुसार पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता हो अथवा पोषक संवर्ग में ऐसे पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो ऐसी रिक्तियों को उक्त खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2	वाहन चालक ग्रेड-3	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) एवं ग्रेड वेतन रु0 2400	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	25	वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-4 से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती-वर्ष के प्रथम दिवस को 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली है और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3	वाहन चालक ग्रेड-2	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) एवं ग्रेड वेतन रु0 2800	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200) एवं ग्रेड वेतन रु0 2800	20	वाहन चालक ग्रेड-2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-3 के पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती-वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड-3 के पद पर 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड-4 की सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4.	वाहन चालक ग्रेड-1	वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रु0 4200	वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रु0 4200	15	वाहन चालक ग्रेड-1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-2 पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती-वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड-2 के पद पर 33 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
5.	वाहन चालक विशेष श्रेणी	-	वेतन बैण्ड-2 (9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4800	10	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-1 के पदधारकों से की जाएगी, जिन्होंने भर्ती-वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड-1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2— उपर्युक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर प्रथमतः एक मुश्त समायोजन एवं तत्पश्चात् भर्ती/पदोन्नति के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था सुसंगत सेवानियमावली में संशोधन (यथास्थिति) करके निर्धारित की जाय:—

"संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान व्यवस्था में निम्न स्तर (ग्रेड वेतन) के पद पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रथमतः पुनर्गठन की तिथि से एक मुश्त समायोजन कर दिया जाय। एक मुश्त समायोजन की यह सुविधा एक बार ही दी जायेगी और ऐसे समायोजित होने वाले पद धारकों का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन—निर्धारण शासनादेश संख्या—395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर—27 में निहित व्यवस्था(यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

तत्पश्चात् रिक्त पदों को, संबंधित पद हेतु उक्तानुसार संशोधित रूप में निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया के अनुसार ही भरा जायेगा।"

3— कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2006 एवं दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा संसूचित निर्णयों को उक्त निर्णयो के अनुसार संशोधित रूप में कार्यान्वित किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव ।

संख्या: 588(1)/XXVii(7)27(3)/2013 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि: समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव अपने प्रशासकीय विभाग विभाग के माध्यम से वित्त विभाग में प्रस्तुत करने का कष्ट करे ।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

P.T.O.

पंजीकृत / आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"वर्कचार्ज वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF,P.W.D.,DEHRADUN,UTTARAKHAND
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 E-Mail-cepwdua@rediffmail.com
Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्रांकः- 539/43 का0प्र0-अधि0/2015 दिनांकः-23.07.2015

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
1/4/8/10/12/सिविल वृत्त,
लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा/रूद्रपुर/टिहरी/
रा0मा0देहरादून/पौड़ी/हरिद्वार।

विषयः- नियमित क्लीनर/डोजर आपरेटर आदि को चालक/डोजर आपरेटर के रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, में नियमित क्लीनरों/ हैल्परों को चालक के रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-432/04 का0प्र0-अधि0/15 दिनांक 27.06.2015 द्वारा चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में अधीक्षण अभियन्ता 11 वॉ वि0/यॉ0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा क्लीनरों/हैल्परों की पदोन्नति हेतु उपलब्ध कराये गये चयन चार्ट को दिनांक 04.07.2015 को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चयन समिति द्वारा निम्न नियमित क्लीनर/डोजर आपरेटर आदि को चालक/डोजर आपरेटर के रिक्त पदो पर पदोन्नति किये जाने हेतु चयनित किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत है-

क्रम0 सं0	नाम	खण्ड का नाम	वृत्त का नाम
1	2	3	4
1.	श्री गिरीश चन्द्र सिंह	निर्माण खण्ड, रानीखेत	प्रथम वृत्त,अल्मोड़ा
2.	श्री भाष्कर दत्त जोशी	निर्माण खण्ड,खटीमा	चतुर्थ वृत्त,ऊधमसिंहनगर रूद्रपुर
3.	श्री वेद प्रकाश	निर्माण खण्ड, खटीमा	चतुर्थ वृत्त ऊधमसिंहनगर रूद्रपुर
4.	श्री मनोज कुमार	निर्माण खण्ड, खटीमा	चतुर्थ वृत्त ऊधमसिंहनगर रूद्रपुर
5.	श्री महावीर सिंह	निर्माण खण्ड, काशीपुर	चतुर्थ वृत्त ऊधमसिंहनगर रूद्रपुर
6.	श्री मो0 रईस	निर्माण खण्ड, काशीपुर	चतुर्थ वृत्त ऊधमसिंहनगर रूद्रपुर
7.	श्री कुशाल सिंह	निर्माण खण्ड, टिहरी	आठवा वृत्त टिहरी
8.	श्री रियासत	रा0 मा0 खण्ड, रूड़की	10 रा0मा0 वृत्त देहरादून
9.	श्री हेमराज	रा0 मा0 खण्ड, रूड़की	10 रा0मा0 वृत्त देहरादून
10.	श्री कुलदीप सिंह	निर्माण खण्ड, श्रीनगर	बारहवां वृत्त पौड़ी
11.	श्री वजीर	प्रान्तीय खण्ड, हरिद्वार	सिविल वृत्त, हरिद्वार

क्रमशः__पेज 2 पर

उक्त चयनित कार्मिकों का चयन चार्ट आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2,देहरादून के शासनादेश संख्या–590/कार्मिक–2/2003–55 (26) /2002 दिनांक 13.05.2003 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2,देहरादून के शासनादेश संख्या–891 /XXX(2) /2013–55 (26)202 दिनांक 13.08.2013 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) द्वारा प्राप्त दिशा– निर्देशों के अनुसार खण्डीय चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर 100 अंकों की एक साधारण परीक्षा लें जिसमें 40 अंकों की सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी । चयनित कर्मचारियों की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होगें तथा 50 अंकों की ड्राईविंग परीक्षा होगी के उपरान्त उत्तीर्ण होने पर सम्बन्धित कार्मिकों के पदोन्नति आदेश अपने स्तर से जारी करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

उक्त प्रकरण का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय ।

संलग्नः– चयन चार्ट ।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पतिलिपिः– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/पौड़ी/ देहरादून/ हल्द्वानी /पिथौरागढ़/टिहरी/रा0मा0 देहरादून/हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, 05/11 वि0/यां0 वृत्त,लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/ देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– प्रान्तीय अध्यक्ष, राजकीय वाहन चालक ,लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश संख्या– 590/XXX(2) /2003-55(26)2002 दिनांक 13.05.2003 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) तथा शासनादेश संख्या– 891/XXX(2) /2013-55(26)2002 दिनांक 13.08.2013 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत श्रेणी 'घ' के मौलिक रुप सें नियुक्त कर्मचारियों का ड्राईवर ग्रेड–4 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष "वर्कचार्ज वर्ग" लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्रांक 432/04 का0प्रा0–अधि0/2015 दिनांक 27.06.2015 द्वारा चयन समिति की बैठक दिनांक 04.07.2015 को बैठक की निर्धारित की गई है।

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश संख्या– 590/XXX(2) /2003-55(26)2002 दिनांक 13.05.2003 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) तथा शासनादेश संख्या– 891/XXX(2) /2013-55(26)2002 दिनांक 13.08.2013 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समूह 'घ' के मौलिकरुप से नियुक्त ऐसे कार्मिक जो नियम 11 में विहित प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 05 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखते हो, सीधी भर्ती के स्वीकृत पदो के 25 प्रतिशत पदों पर निम्न चयन प्रकिया के आधार पर नियुक्त किये जायेंगे।

चयन प्रकिया:– वाहन चालक के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो, उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' के मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होनें निरन्तर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' से भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर 100 अंको की एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा, जिसमें 40 अंकों की सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे तथा 50 अंकों की ड्राईविंग परीक्षा होगी।

4/7/15

4/7/15
3.E

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण विभाग अनुभाग–1 देहरादून के शासनादेश संख्या– 834/III(1) /06-190(पी०डब्लु०डी०)2001 टी०सी०–2 दिनांक 06.10.2016 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में ट्रक /टिप्पर/टैंकर/ट्रैक्टर/ रोलर चालक ग्रेड–4 के 95 पद सृजित किये गये है, तथा जीप/कार चालक ग्रेड–4 के 39 पद सृजित किये गये है। इस प्रकार ग्रेड–4 के कुल 134 पद सृजित है। इन 134 पदों का 25 प्रतिषत अर्थात 33 पद समूह 'घ' के कार्मिकों की पदोन्नति हेतु आरक्षित हैं।

वर्तमान में 41 न0 (प्रति संलग्न) समूह 'घ' के कार्मिको से चयन चॉट प्राप्त हुये हैं। समूह 'घ' के मौलिकरुप से नियुक्त ऐसे कार्मिक जो नियम 11 में विहित प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 05 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखते हो, के 11 न0 (प्रति संलग्न में पात्र होना उल्लिखित) कार्मिक हैं। अतः दिनांक 04.07.2015 तक समूह 'घ' के कार्मिको से प्राप्त चयन चॉट उनकी वरिष्ठता कम के आधार पर उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन हेतु उपरोक्त सूची के अनुसार 11 न0 कार्मिक का चयन व अनुमोदन किया जाता है। चयनित कार्मिकों के खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, शासनादेश संख्या–891/XXX(2) /2013-55(26)2002 दिनांक 13.08.2013 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार खण्डीय चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर 100 अंको की एक साधारण परीक्षा ले, जिसमें 40 अंकों की सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे तथा 50 अंकों की ड्राईविंग परीक्षा होगी के उपरान्त उत्तीर्ण कार्मिकों के नियुक्ति पत्र जारी करेगें ।

(सदस्य) 4/7/15	(सदस्य) 4/7/15	(अध्यक्ष) 4/7/15
अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
5वॉं वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0	11वॉं वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0	लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी(नैनीताल)	देहरादुन	देहरादुन

पत्रावली संख्या 6-B/17
क्रमांक 77

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश संख्या– 590/XXX(2) /2003-55(26)2002 दिनांक 13.05. 2003 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) तथा शासनादेश संख्या– 891/XXX(2) /2013-55(26)2002 दिनांक 13.08.2013 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत श्रेणी 'घ' के मौलिक रुप से नियुक्त कर्मचारियों का ड्राईवर ग्रेड–4 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष "वर्कचार्ज वर्ग" लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्रांक 132/04 का0प्रा0–अधि0/2015 दिनांक 27.06.2015 द्वारा चयन समिति की बैठक दिनांक 04.07.2015 को बैठक की निर्धारित की गई है।

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून के शासनादेश संख्या– 590/XXX(2) /2003-55(26)2002 दिनांक 13.05. 2003 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) तथा शासनादेश संख्या– 891/XXX(2) /2013-55(26)2002 दिनांक 13.08.2013 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समूह 'घ' के मौलिकरुप से नियुक्त ऐसे कार्मिक जो नियम 11 में विहित प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 05 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखते हो, सीधी भर्ती के स्वीकृत पदो के 25 प्रतिशत पदों पर निम्न चयन प्रकिया के आधार पर नियुक्त किये जायेंगे।

चयन प्रकिया:– वाहन चालक के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो, उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' के मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होनें निरन्तर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' से भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर 100 अंको की एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा, जिसमें 40 अंकों की सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे तथा 50 अंकों की ड्राईविंग परीक्षा होगी।

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण विभाग अनुभाग–1 देहरादून के शासनादेश संख्या– 834/III(1) /06-190(पी०डब्लु०डी०)2001 टी०सी०–2 दिनांक 06.10.2016 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में ट्रक /टिप्पर/टैंकर/ट्रैक्टर/ रोलर चालक ग्रेड–4 के 95 पद सृजित किये गये है, तथा जीप/कार चालक ग्रेड–4 के 39 पद सृजित किये गये है। इस प्रकार ग्रेड–4 के कुल 134 पद सृजित है। इन 134 पदों का 25 प्रतिषत अर्थात 33 पद समूह 'घ' के कार्मिकों की पदोन्नति हेतु आरक्षित हैं।

वर्तमान में 41 न० (प्रति संलग्न) समूह 'घ' के कार्मिको से चयन चांट प्राप्त हुये हैं। समूह 'घ' के मौलिकरुप से नियुक्त ऐसे कार्मिक जो नियम 11 में विहित प्राविधिक तथा शैक्षिक अर्हता में किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 05 वर्ष से अनन्यून अवधि का रखते हो, के 11 न० (प्रति संलग्न में पात्र होना उल्लिखित) कार्मिक हैं। अतः दिनांक 04.07.2015 तक समूह 'घ' के कार्मिको से प्राप्त चयन चांट उनकी वरिष्ठता कम के आधार पर उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजन हेतु उपरोक्त सूची के अनुसार 11 न० कार्मिक का चयन व अनुमोदन किया जाता है। चयनित कार्मिकों के खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, शासनादेश संख्या– 891/**XXX(2) /2013-55(26)2002** दिनांक 13.08.2013 की अधिसूचना (प्रकीर्ण) द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार खण्डीय चयन समिति के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर 100 अंको की एक साधारण परीक्षा ले, जिसमें 40 अंकों की सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे तथा 50 अंकों की ड्राईविंग परीक्षा होगी के उपरान्त उत्तीर्ण कार्मिकों के नियुक्ति पत्र जारी करेगें ।

(सदस्य) 4/7/15
अधीक्षण अभियन्ता
5वॉं वि०/यॉं० वृत्त, लो०नि०वि०
हल्द्वानी(नैनीताल)

(सदस्य) 4/7/15
अधीक्षण अभियन्ता
11वॉं वि०/यॉं० वृत्त, लो०नि०वि०
देहरादुन

(अध्यक्ष) 4/7/15
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
लोक निर्माण विभाग
देहरादुन

उत्तराखण्ड में समूह 'घ' के कार्मिको से ड्राईवर ग्रेड–4 (5200–20200 ग्रेड पे 1900) के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों का विवरण – दिनांक 04–07–2015

क्र. सं.	विषय	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़े वर्ग जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रेणीवार नियमित ड्राईवरो के आंवटित पदो की संख्या	242 (63%)	73 (19%)	15 (04%)	54 (14%)	384 (100%)
2	श्रेणीवार दिनांक 30–06–2015 तक कार्यरत नियमित ड्राईवरो की संख्या	211	46	04	50	311
3	श्रेणीवार दिनांक 30–06–2015 तक नियमित ड्राईवरो के रिक्त पदों की संख्या	31	27	11	04	73
4	श्रेणीवार नियमित ड्राईवर ग्रेड–4 अधिष्ठान में आंवटित पदों की संख्या	85 (63%)	25 (19%)	05 (04%)	19 (14%)	134 (100%)
5	श्रेणीवार नियमित ड्राईवर ग्रेड–4 अधिष्ठान में आंवटित पदो की संख्या का 25 %			33		
8	श्रेणीवार दिनांक 03.06.2015 तक समूह 'घ' के कार्मिको से प्राप्त चयन चार्ट की संख्या			46		
9	श्रेणीवार समूह 'घ' के कार्मिक जिनको ड्राईवर ग्रेड–4 के पद पर पदोन्नत किया जाना है			11		

5/7/15

नियमित क्लीनर/हैल्पर/ऑपरेटर आदि कर्मचारियों की चालक/डोजर ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति हेतु चयन चार्ट

वृत्त का नाम :- प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

क्र0 सं0	वृत्त/खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर/हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक/ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा-8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत	श्री गिरीश चन्द्र सिंह	श्री बचे सिंह	15-5-1977	सामान्य	14-7-2000	16 वर्ष	28-12-2011 LMV	कक्षा-8 पास	1. वर्ष 2010-11-उत्तम 2. वर्ष 2011-12-उत्तम 3. वर्ष 2012-13-उत्तम 4. वर्ष 2013-14-उत्तम 5. वर्ष 2014-15- ---	पदोन्नति के पात्र हैं।

वृत्त का नाम :- द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल

क्र0 सं0	वृत्त/खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर/हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक/ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा-8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे	श्री पूरन चन्द्र पाण्डे	15-8-1960	सामान्य	1-1-1999	16 वर्ष		कक्षा-5 पास	1. वर्ष 2010-11-उत्तम 2. वर्ष 2011-12-उत्तम 3. वर्ष 2012-13-उत्तम 4. वर्ष 2013-14-उत्तम 5. वर्ष 2014-15-उत्तम	पदोन्नति के पात्र नहीं हैं।
	-तदैव-	श्री गोपाल दत्त	श्री हरी दत्त	3-1-1963	सामान्य	7-7-1999 (ऑपरेटर)	16 वर्ष	19-4-2010 LMV	कक्षा-6 पास	1. वर्ष 2010-11-उत्तम 2. वर्ष 2011-12-अति उत्तम 3. वर्ष 2012-13-अति उत्तम 4. वर्ष 2013-14-उत्तम 5. वर्ष 2014-15-उत्तम	पदोन्नति के पात्र नहीं हैं।

क्रमशः........................पेज 2

	– तदैव –	श्री कृष्ण कुमार	श्री परमेश्वर	15-6-1963	पि0जा0	16-9-2004	10 वर्ष	16-8-2001 LMV	कक्षा–10 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्कृष्ट 2. वर्ष 2011–12–उत्कृष्ट 3. वर्ष 2012–13–अति उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15–अति उत्तम	पदोन्नति के पात्र नही है। [illegible]
	– तदैव –	श्री जीवन चन्द पालीवाल	श्री जयकृष्ण पालीवाल	15-12-1967	सामान्य	1-9-2011	3 वर्ष	1-12-2000 LMV	कक्षा–10 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्कृष्ट 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15–अति उत्तम	पदोन्नति के पात्र नही है।
	– तदैव –	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे	श्री पुरुषोत्तम पाण्डे	3-9-1965	सामान्य	1-9-2011	3 वर्ष	6-12-1993 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्कृष्ट 2. वर्ष 2011–12–उत्कृष्ट 3. वर्ष 2012–13–अति उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15–अति उत्तम	पदोन्नति के पात्र नही है।
	– तदैव –	श्री कुन्दन सिंह	श्री डुंगर सिंह	8-1-1980	सामान्य	16-12-2013	1½ वर्ष	19-3-2001 LMV	कक्षा–5 पास	1. वर्ष 2010–11–अति उत्तम 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–उत्तम 5. वर्ष 2014–15–उत्तम	पदोन्नति के पात्र नही है।
	– तदैव –	श्री विरेन्द्र कुमार	श्री पान सिंह	30-9-1995	सामान्य	28-5-2014	1 वर्ष	21-8-2014 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2014–15–उत्तम	पदोन्नति के पात्र नही है।
2.	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	श्री गिरीश पाल सिंह	श्री बदरी सिंह	10-8-1968	सामान्य	19-12-2011	3½ वर्ष	26-8-1992 LMV	कक्षा–12 पास	वा0गो0 आख्या उपलब्ध नही है।	पदोन्नति के पात्र नही है।
	– तदैव –	श्री परशुराम	श्री राम किशन	8-6-1970	पि0जा0	17-12-2011	3½ वर्ष	22-12-2005 LMV	कक्षा–8 पास	वा0गो0 आख्या उपलब्ध नही है।	पदोन्नति के पात्र नही है।
	– तदैव –	जगदीश चन्द	श्री शिव दत्त	9-11-1969	सामान्य	3-9-2011	3½ वर्ष	3-6-1999 LMV	कक्षा–8 पास	वा0गो0 आख्या उपलब्ध नही है।	पदोन्नति के पात्र नही है।

क्रमशः.........................पेज 3

	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल	श्री मौहम्मद अहमद खान	श्री सत्तार खान	2-2-1969	पि0जा0	20-12-2011	3½ वर्ष	29-8-1988 LMV	कक्षा–8 पास	वा0गो0 आख्या उपलब्ध नही है।	पदोन्नति के पात्र नही है।
	– तदैव –	श्री मौहम्मद सलीम	श्री रसूल बख्श	18-5-1975	पि0जा0	20-12-2011	3½ वर्ष	26-4-1995 LMV	कक्षा–8 पास	वा0गो0 आख्या उपलब्ध नही है।	पदोन्नति के पात्र नही है।
	– तदैव –	श्री भाष्करानन्द पाण्डे	श्री सर्वादत्त पाण्डे	10-8-1960	सामान्य	6-4-1999	16 वर्ष	28-4-1992 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र नही है। [illegible]

वृत्त का नाम :– चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, रूद्रपुर

क्र0 सं0	वृत्त / खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर / हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक / ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा–8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, खटीमा	श्री भाष्कर दत्त जोशी	श्री राधावल्लभ जोशी	30-1-1964	सामान्य	8-9-1999	15 वर्ष	6-9-2011 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्कृष्ट 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्कृष्ट 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र है।
	– तदैव –	श्री ज्वाला प्रसाद	श्री श्याम लाल	1-2-1964	पि0जा0	8-9-1999	15 वर्ष	22-5-1987	—	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र नही है। [illegible]

क्रमशः........................पेज 4

	– तदैव –	श्री वेद प्रकाश	श्री रोहन लाल	15-3-1975	पि0जा0	3-11-2004	10 वर्ष	21-12-2004 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–अति उत्तम 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13–अति उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र है।
	– तदैव –	श्री सुरेश चन्द	श्री द्वारिका प्रसाद	5-9-1966	सामान्य	1-9-2011	3½ वर्ष	10-9-1991 LMV	कक्षा–5 पास	1. वर्ष 2010–11– — 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13–अति उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
	– तदैव –	श्री मनोज कुमार	श्री हरीशंकर	25-7-1975	सामान्य	12-11-2001	14 वर्ष	9-10-2001 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्कृष्ट 2. वर्ष 2011–12–उत्कृष्ट 3. वर्ष 2012–13–अति उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र है।
2.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर	श्री महावीर सिंह	श्री रामप्रसाद	8-1-1963	पि0जा0	28-11-1998	16 वर्ष	28-5-1985 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–अच्छा 4. वर्ष 2013–14–उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र है।
	– तदैव –	श्री मो0 रईस	श्री मो0 रफीक	20-8-1967	पि0जा0	28-11-1998	16 वर्ष	10-2-1986 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–अति उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–अच्छा 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र है।
	तदैव	श्री कमल सिंह	श्री केसर सिंह	11-11-1969	सामान्य	6-9-2011	3½ वर्ष	20-5-2004 LMV	कक्षा–12 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–अति उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र नहीं है।

क्रमशः........................पेज 5

वृत्त का नाम :— पंचम वि0/यां0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी

क्र0	वृत्त/खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर/हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक/ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा–8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	वि0/यां0खण्ड, लो0नि0वि0, भीमताल	श्री रघुवीर सिंह	श्री बालम सिंह	1-12-1956	सामान्य	27-11-1998	16 वर्ष	27-7-1995 LMV	कक्षा–5 पास	1. वर्ष 2010–11–अति उत्तम 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
2	वि0/यां0खण्ड, लो0नि0वि0, बाजपुर	श्री सत्यप्रकाश	श्री भजन लाल	17-3-1983	पि0जा0	17-12-2011	3½ वर्ष	18-7-2006 LMV	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13–अति उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र नहीं है।

वृत्त का नाम :— छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी

क्र0 सं0	वृत्त/खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर/हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक/ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा–8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	श्री गोपाल दत्त कुकरेती	श्री प्रसादी दत्त	20-8-1967	सामान्य	1-8-1999	15 वर्ष	12-12-1991 LMV	कक्षा–8 पास	सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।	पदोन्नति के पात्र नहीं
2.	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी	श्री धर्म सिंह	श्री राजपा सिंह	12-12-1968	सामान्य	1-6-2002	13 वर्ष	13-2-2006 LMV	कक्षा–8 पास	वा0गो0 आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।

क्रमशः.....................पेज 6

	— तदैव —	श्री सुरेन्द्र दत्त	श्री जनार्दन प्रसाद	24-12-1961	सामान्य	1-1-2001	14 वर्ष	17-8-2011 LMV	कक्षा—8 पास	वा०गो० आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
	— तदैव —	श्री देव चन्द	श्री नागचन्द	7-12-1957	सामान्य	16-11-1995	19 वर्ष	27-9-1990 LMV	कक्षा—8 पास	वा०गो० आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
3.	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़	श्री सोबत सिंह	श्री गोविन्द सिंह	10-7-1963	पि०जा०	16-11-1995	19 वर्ष	1-2-1989 LMV	कक्षा—10 पास	वा०गो० आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।

वृत्त का नाम — आठवां वृत्त, लो०नि०वि०, टिहरी

क्र० सं०	वृत्त / खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर / हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक / ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा—8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी	श्री वीर सिंह	श्री जमन सिंह	2-5-1969	सामान्य	1-7-1996	19 वर्ष	20-12-1997 LMV	कक्षा—5 पास	1. वर्ष 2010—11—अति उत्तम 2. वर्ष 2011—12— — 3. वर्ष 2012—13—उत्तम 4. वर्ष 2013—14—अति उत्तम 5. वर्ष 2014—15— —	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
	— तदैव —	श्री सूरत सिंह	श्री माडू सिंह	10-12-1957	सामान्य	1-3-1980	35 वर्ष	21-6-1979 LMV	कक्षा—5 पास	1. वर्ष 2010—11—अच्छा 2. वर्ष 2011—12— — 3. वर्ष 2012—13—उत्तम 4. वर्ष 2013—14—उत्तम 5. वर्ष 2014—15— —	पदोन्नति के पात्र नहीं है।

क्रमशः.......................पेज 7

	– तदैव –	श्री रतनमणि	श्री महादेव	10-3-1966	सामान्य	1-12-1995	19 वर्ष	20-1-1997 RDRLR	कक्षा–5 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12– — 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
2.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली	श्री विरेन्द्र प्रसाद नौटियाल	श्री चण्डी प्रसाद नौटियाल	20-6-1972	सामान्य	19-12-2011	3 वर्ष	4-6-1987 LMV	कक्षा–8 पास	चा0गो0 आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
3.	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़	श्री मोहन सिंह	श्री प्रसन्न लाल	20-4-1970	पि0जा0	8-7-2011	4 वर्ष	10-1-2008 LMV	कक्षा–8 पास	चा0गो0 आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
	– तदैव –	श्री लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल	श्री पीताम्बर दत्त थपलियाल	2-2-1959	सामान्य	1-4-1997	18 वर्ष	10-10-1982 RDRLR	कक्षा–7 पास	चा0गो0 आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
4.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी	श्री कुशाल सिंह	श्री मैचन्द सिंह	12-10-1966	सामान्य	1-12-1995	19 वर्ष	17-2-1995 RDRLR	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–अति उत्तम 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —	पदोन्नति के पात्र है।
5.	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर	श्री कृपाल सिंह	श्री गुलाब सिंह	1-8-1964	सामान्य	1-8-1999	15 वर्ष	5-8-1985 LMV	कक्षा–5 पास	चा0गो0 आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
	– तदैव –	श्री जयेन्द्र सिंह	स्व0 श्री नेत्र सिंह	12-11-1982	सामान्य	5-9-2011	3 वर्ष	15-2-2012 LMV	कक्षा–5 पास	चा0गो0 आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
	– तदैव –	श्री ध्रुव सिंह	श्री दलीप सिंह	20-9-1969	सामान्य	1-6-2001	14 वर्ष	25-11-1991 RDRLR	कक्षा–5 पास	चा0गो0 आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।
	– तदैव –	श्री धर्म सिंह	श्री कृपाल सिंह	26-3-1956	सामान्य	31-12-1976	38 वर्ष	12-4-1982 LMV	कक्षा–5 पास	चा0गो0 आख्या उपलब्ध नहीं है।	पदोन्नति के पात्र नहीं है।

क्रमशः........................पेज 8

वृत्त का नाम :— 10वां राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून

क्र0 सं0	वृत्त/खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर/हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक/ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा–8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रूड़की	श्री रियासत	स्व0 शब्बीर	26-1-1977	सामान्य	11-4-1997	16 वर्ष	17-10-1996 RDRLR	कक्षा–8 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —–	पदोन्नति के पात्र हैं।
	– तदैव –	श्री हेमराज	श्री फकीर सिंह	3-1-1960	पि0जा0	6-8-1999	15 वर्ष	14-11-1985 LMV	कक्षा–10 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–उत्तम 3. वर्ष 2012–13–उत्तम 4. वर्ष 2013–14–उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —–	पदोन्नति के पात्र हैं।

वृत्त का नाम :— 11वां वि0/यां0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून

क्र0 सं0	वृत्त/खण्ड का नाम	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्लीनर/हैल्पर के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि	नियमित सेवा की अवधि	चालक/ऑपरेटर का HMV/LMV लाईसेंस निर्गत की तिथि	योग्यता कक्षा–8 पास प्रमाण पत्र	पिछले 5 वर्ष की गोपनीय आख्या का सार	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	श्री राकेश कुमार	श्री ईशम सिंह	5-2-1962	पि0जा0	9-8-2001	13 वर्ष	24-11-1981 LMV	कक्षा–10 पास	1. वर्ष 2010–11–उत्तम 2. वर्ष 2011–12–अति उत्तम 3. वर्ष 2012–13– —– 4. वर्ष 2013–14–अति उत्तम 5. वर्ष 2014–15– —–	पदोन्नति के पात्र नहीं [illegible]

क्रमशः.........................पेज 9

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 590/कार्मिक-2/2003-55 (26)/2002
देहरादून, 13 मई, 2003

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003

भाग-1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 2003 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति — 2. किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

इन नियमों का लागू होना — 3. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन श्री राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव — 4. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए प्रभावी होगी।

परिभाषाएं — 5. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;

(ङ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन गठित ड्राइवर सेवा से है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–2

संवर्ग

४ प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय। सेवा का संवर्ग

भाग–3

भर्ती

५ सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। भर्ती का स्रोत

६ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षण

भाग–4

अर्हताएं

७ सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी– राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायें, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष- अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

शारीरिक और शैक्षिक अर्हताएं 11. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:–

(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और

(दो) यथास्थिति भारी हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस नियम 15 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानी अर्हता 12. अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायगा, जिसने–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश अथवा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो;

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

चरित्र 13. सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 14. सेवा में भर्ती के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड-बुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। शारीरिक स्वस्थता

भाग-5

भर्ती की प्रक्रिया

16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार-पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा। रिक्तियों का अवधारण

17. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:- सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी; अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी; सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे; सदस्य

(चार)(1) संबंधित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो। सदस्य

(2) सीधे या सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति शैक्षिक अर्हता एवं वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेन्स की अवधि के आधार पर इतने आवेदकों को साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के लिए बुलायेगी जितना वह उचित समझे।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राईविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता को उनकी आयु के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग-6

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उप-नियम (3) के अधीन समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

20. ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि-

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. ड्राईवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायगी।

जुरे नहीं आती

भाग—7

वेतन आदि

22. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। **वेतनमान**

23. फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो: **परिवीक्षा अवधि में वेतन**

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग—8

अन्य विनियमन

24. सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों, चाहे मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा। **पक्ष समर्थन**

25. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे। **अन्य विषयों का विनियमन**

26. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अवमुक्त या शिथिल कर सकती है। **सेवा की शर्तों में शिथिलता**

27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है। **व्यावृत्ति**

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1,
संख्या: 13/12/93-का-1/1993,
लखनऊ, दिनांक: 14 : अक्टूबर, 1993

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

"उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवानियमावली, 1993"

संक्षिप्त नाम

भाग-1— सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

इन नियमों का लागू होना

3. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियमावली बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवरों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

4. यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

5. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य, यथास्थिति, सुसंगत सेवानियमावली या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में ड्राइवर के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

-2-

(ग) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ङ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "सेवा" का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में यथास्थिति सुसंगत सेवा-नियमावलियों या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन ड्राइवर सेवा से है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

भाग-दो--संवर्ग

सेवा का संवर्ग 6. प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्यालय में सेवा की सदस्य संख्या, उतनी होगी जितनी, यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमावलियों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन समय-समय पर सरकार द्वारा, अवधारित की जाय।

भाग-तीन--भर्ती

भर्ती का स्रोत 7. सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायगी।

आरक्षण 8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग-चार--अर्हताएं

राष्ट्रिकता 9. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उ0प्र0 से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया जा गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु 10- सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित या अधिसूचित की जायं पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

- 4 -

शैक्षिक अर्हताएं

11. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:-

(एक) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और

(दो) यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाईसेंस नियम-16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो।

अधिमानी अर्हता

12. अन्य बातों के समान होने पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में अधिमान दिया जायगा जिसने:-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(दो) वाहन यान्त्रिकी का ज्ञान हो;

(तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो;

चरित्र

13. सेवा में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा,

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

14. सेवा में भर्ती के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

-5-

शारीरिक स्वस्थता

15. किसी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेंशियल हैण्ड बुक,खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच— भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

16. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार रिक्तियां सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा और वह प्रमुख समाचार पत्रों में रिक्तियों को विज्ञापित भी करायेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न कोई अधिकारी— सदस्य

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अधिकारी जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय का और दूसरा पिछड़े

वर्ग का होगा। यदि ऐसे उपयुक्त अधिकारी उसके विभाग या संगठन में उपलब्ध न हों तो ऐसे अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।---------------- सदस्य

(चार) संबंधित सम्भाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी से निम्न स्तर का न हो,------- सदस्य

(2) सीधे व सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के अधीन अर्ह हों, साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के लिये बुलायेगा।

(3) चयन समिति साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार और ड्राइविंग परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को, अग्रसारित करेगी।

भाग 6:-नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाय ।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम (3) के अधीन समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण

20. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति मे स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय;

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. ड्राइवर के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायगी।

वेतनमान

22. सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

24. किसी ड्राइवर को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न बताया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

पक्ष समर्थन

25. सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती है;

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-

समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(कालिका प्रसाद)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1,
संख्या:13/12/93-का-1/1993,
लखनऊ, दिनांक: 14 :अक्टूबर, 1993 ।

दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र ।
3. सचिव, राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 ।
4. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0 ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. निदेशक, उ0प्र0 प्रशासनिक अकादमी नैनीताल ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(डा0बी0डी0माहेश्वरी)
विशेष सचिव ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग,देहरादून।

पत्र संख्याः-268/7का0प्र0-उत्तरांचल/2005, दिनांक-11.3.2005

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ)क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग,पौड़ी/अल्मोड़ा।

विषयः- नियमित क्लीनर की चालक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।

मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग,लखनऊके पत्र संख्या-6568डब्लू.सी./252डब्लू.सी./73,दि0-25.9.79,के अनुसार जो नियमित क्लीनर तीन वर्ष तक वाहन चालक का कार्य कर चुका है,वह चालक के पद पर पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं।

अधीक्षण अभियन्ता 49 वां वि./यां.वृत्त लो0नि0विभाग,देहरादून से प्राप्त आख्या के अनुसार चालकों के कुल 385 पद स्वीकृत है, जिनके विरूद्व 292 चालक कार्यरत हैं, इस प्रकार 93पद चालकों के रिक्त है। इन 93 पदों में 89पद कोटे से भरे जाने है,तथा चार पद सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जाने है। सामान्य श्रेणी के रिक्त पद पर नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता 49वां वि0/यां0वृत्त लो0नि0विभाग,देहरादून से मांगे गये है। शेष 89 पद आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जाने हैं।

नौडल खण्डों एवं अधीक्षण अभियन्ता 29वां वृत्त वि0/यां0 लो0नि0 विभाग, हल्द्वानी से प्राप्त अभिलेखों/सूचना के आधार पर अनुसूचित जाति के नियमित क्लीनर निम्न हैः-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	खण्ड का नाम	नियुक्ति तिथि नियमित में
1	श्री गोपाल राम	श्री चन्दीराम	प्रा0ख0डीडीहाट	1.3.80
2	श्री राजकुमार	श्री केशर राम	—तदैव—	1.5.89
3	श्री मक्तू	श्री शोभनीय	नि0ख0बड़कोट	1.11.91
4	श्री कैलाश	श्री जगजीवन राम	नि0ख0देहरादून	17.6.94
5	श्री लक्ष्मण दास	श्री भरपूर दास	रा0मा0ख0उत्तरकाशी	1.3.95

6	श्री ओमप्रकाश	श्री वीर सिंह	नि0ख0टिहरी	13.11.95
7	श्री सुखवीर सिंह	श्री हरनन्द सिंह	प्रा0ख0हरिद्वार	23.11.95
8	श्री गुमान सिंह	श्री दलीप सिंह	अ0ख0चकराता	23.11.95
9	श्री विजेन्द्र सिंह	श्री सूवा सिंह	प्रा0ख0देहरादून	23.11.95
10	श्री प्रेम सिंह	श्री मूलचन्द	प्रा0ख0लैन्सडौन	22.1.96
11	श्री प्रेमलाल	श्री कुन्दनलाल	अ0ख0थत्यूड़	1.4.97
12	श्री बालम सिंह	श्री वर्क सिंह	अ0ख0चकराता	26.6.97
13	श्री बाली राम	श्री जगतराम	प्रा0ख0नैनीताल	2.1.98
14	श्री रमेश चन्द	श्री सूरत प्रकाश	नि0ख0रानीखेत	20.3.98
15	श्री रमेश चन्द	श्री सूरत प्रकाश	प्रा0ख0लैन्सडौन	21.3.98
16	श्री भगवान दास	श्री गोकुल	प्रा0ख0बागेश्वर	14.10.98
17	श्री जगदीश राम	श्री दीवानी राम	प्रा0ख0रूद्रपुर	13.11.98
18	श्री जगदीश राम	श्री भवानी राम	नि0ख0नैनीताल	21.11.98
19	श्री कौशल राम	श्री मिठाईराम	अ0ख0ऋषिकेश	5.6.99
20	श्री श्रीचन्द	श्री रतिराम	प्रा0ख0हरिद्वार	6.8.99
21	श्री नन्दलाल	श्री विद्याराम	नि0ख0खटीमा	8.9.99
22	श्री जगदीश राम	श्री नैनराम	प्रा0ख0डीडीहाट	4.5.02

अतः आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु पत्र संख्या–6568डब्लू.सी./252डब्लू.सी., दि0–25.9.79,की छाया प्रति इस आशय के साथ संलग्न प्रेषित है कि उपरोक्त सूची के अनुसार अपने–अपने क्षेत्र में कार्यरत आरक्षित श्रेणी के नियमित क्लीनर जिनके द्वारा तीन वर्षों तक लगातार चालक का कार्य किया गया हो तथा जिनके पास वैध लाईसेंन्स हो एवं चालक का कार्य करने की पूर्ण अहर्ता रखते हो की पदोन्नति चालक के पद पर करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार प्रमुख अभियन्ता का पत्र।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,देहरादून।

10-3-05

① प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता [illegible] लो०नि०वि० हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित,

② प्रति प्रान्तीय अध्यक्ष [illegible] चालक संघ मु०अभि०स्तर-1, कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून

प्रशासनिक अधिकारी-II
मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून